न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी—संजय शर्मा

अपील संख्या 57 / 2022 तारीख रजू 18.10.2022

रामस्वरूप पुत्र भोला जाट निवासी अक्षयगढ, तहसील खण्डार । ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार। ——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति —

श्री मोहम्मद इमरान खान एडवोकेट — अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व — रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 08.08.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 02 / 2022 मे पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को पटवार मण्डल अक्षयगढ के राजस्व ग्राम अक्षयगढ के आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता पर संवत 2079 मे जिन्स जोत कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह (90) दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि लायक अदालत मातहत का निर्णय विधि विरूद्ध एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की बिलकुल गलत एवं निराधार रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को नोटिस जारी कर बिना अपीलान्ट की तामील हुए तथा अपीलान्ट को जवाबदेही एवं सबूत पेश करने का मौका दिये बिना ही विवादित निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है जो खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा आराजी ख0नं0 291 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता पर जिन्स जोतकर संवत् 2079 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जो कि बिलकुल गलत एवं निराधार है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी पर कोई जिन्स जोत कर गै0मु0 रास्ता भूमि पर कब्जा नहीं किया है बल्कि मोके पर सडक मौजूद है तथा अपीलान्ट का उक्त भूमि से किसी भी प्रकार का ताल्लुक या वास्ता नहीं है, फिर भी पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट करके साजिश वश अपीलान्ट को उक्त मुकदमे में मुलव्विस कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी राज्य सरकार के नाम दर्ज है तथा किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है इसलिये उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा करने का सवाल ही नहीं उठता और उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है ना ही कोई फसल काश्त की है ना ही पटवारी हल्का ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सबूत ही पेश किया है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। पेरोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा आम जन के आवागमन के काम आती है यदि अपीलार्थी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखल नहीं किया गया तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने हेतु बढावा मिलेगा। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट के पुत्र की तामील हुई है। बावजूद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। यद्यपि, अपीलान्ट ने उक्त आराजी ख0नं0 291 रकबा 0.03 बीघा गै0मु0रास्ता पर आज तक कभी कब्जा नहीं रहने और नाही संवत 2079 में कोई काश्त करने का शपथ पत्र पेश किया है, अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलान्ट उक्त आराजी ख0नं0 291 रकबा 0.03 बीघा गै0मु0रास्ता पर पूर्ववर्ती कब्जा नहीं रहा हो। यहां इस बात को भी नजर–अंदाज नहीं किया जा सकता है कि अतिक्रमित आराजी की किस्म गै0मु0रास्ता है जो आमजन के आवागमन में काम आता है व सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से उक्त भूमि पर बढते अतिचार को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार की अनियमितता नजर नही आती है तथा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 26.07.2022 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:05 IST
Reason: SelfAttested